— 1 —

अंचल अधिकारी ...[illegible]... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 630/2016

विषय वस्तु– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

1 / 20.8.18

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 संलग्नित श्री अनुल मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं तद संलग्नित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा [illegible] थाना– 169 खाता संख्या– 63 प्लॉट संख्या– .... रकबा 10.67 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ संख्या– 71 पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संदिग्ध जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 27.08.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश का कमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
20.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत खास सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 06.03.2020 को रखें। अंचल अधिकारी, कर्रा।	
04.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। पुनः BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत खास सूचना निर्गत करें संबंधित भूमि की कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक 15.10.2020 को रखें। अंचल अधिकारी, कर्रा।	
06.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत मांगु उराँव वगै0 के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में मालगुजारी रसीद सं0 233364 वर्ष 1963–64 से 1999–2000 तक प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:– **खतियान की स्थिति**:– मौजा कनसीली, थाना नं0 169 के सर्वे खतियान में खाता सं0 63 प्लॉट नं0 189 रकबा 10.67 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास जंगल झाड़ी दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :– मांग पंजी ii पृष्ट सं0 71 भाग सं0 I में दर्ज जमाबंदी रैयत मांगु उराँव वगै0 के नाम से खाता सं0 63 प्लॉट नं0 189 रकबा 10.67 एकड़ दर्ज है पंजी II में जमाबंदी का कोई आधार दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर पंजी II रैयत का दखल कब्जा नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II के पृष्ट सं0 71 भाग I पर दर्ज खाता सं0 63 प्लॉट सं0 189 रकबा 10.67 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा कनसीली थाना नं0 169 के सर्वे खतियान में खाता सं0 63 प्लॉट नं0 189 रकबा 10.67 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखामित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	